

(39)

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-05.08.2022 के लिए प्राप्त गैर सरकारी संकल्प के संबंध में मंतव्य

" यह सभा अभिस्ताव करती है कि सरकार भारत का संविधान के अनुच्छेद-243ZE के प्रावधानों के अनुरूप जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम तथा बागबेडा, सुंदर नगर, गोविन्दपुर आदि के पंचायत क्षेत्रों को मिलाकर एक "महानगर योजना समिति" गठित करे, ताकि समीपवर्ती क्षेत्रों की नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के नागरिकों के हित सुरक्षित करने, उनके लिये पेयजल आदि आवश्यक नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करने, समन्वित भौतिक अधोसंरचनाएं सृजित करने, क्षेत्र के एकीकृत विकास की योजनाएँ तैयार करने एवं क्रियान्वित करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करने, स्थानिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का उन्नयन करने का कार्य किया जा सके।"

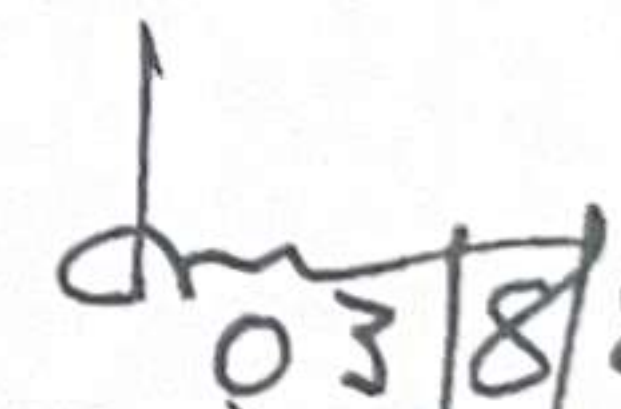
सरकार का वक्तव्य

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-384 के अन्तर्गत महानगर योजना समिति के गठन संबंधित प्रावधान निरूपित हैं। माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम तथा बागबेडा, सुंदर नगर, गोविन्दपुर आदि के पंचायत क्षेत्रों को मिलाकर "महानगर योजना समिति" के गठन का अभिस्ताव दिया गया है।

वर्तमान में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद का निर्वाचन नहीं हुआ है तथा आदित्यपुर नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल भी अगले वर्ष पूर्ण हो रहा है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित महानगर योजना समिति के अंतर्गत आनेवाले तीन बड़े नगर निकायों में निर्वाचित बोर्ड नहीं है। सम्प्रति "महानगर योजना समिति" के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:-03 / गै०स०संकल्प०-04 / 2022 / न०वि०आ० 2747 राँची, दिनांक-03/08/22
प्रतिलिपि:-श्री रामनिवास दास, संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड,
राँची का ज्ञाप संख्या-2037 दिनांक-27.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


03/8/2022
सरकार के अपर/सचिव।